न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 15/2020 तारीख रजू 26.11.2020

कल्लू शाह पुत्र स्व. सुभान शाह जाति मुसलमान निवासी मलारना डूँगर।

..........प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश पुत्र राधाकिशन जाति हरिजन निवासी मलारना डूँगर तह.मलारना डूँगर।
2. रमेश पुत्र राधाकिशन जाति हरिजन निवासी मलारना डूँगर तह.मलारना डूँगर।
3. तहसीलदार मलारना डूँगर।

.........अप्रार्थीगण

वकील प्रार्थी श्री हरिमोहन जाट एडवोकेट
वकील अप्रार्थी श्री राकेश कुमार सैनी एडवाकेट

निर्णय दिनांक 16/8/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1973 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व.राधाकिशन पुत्र टून्डा जाति हरिजन निवासी मलारना डूँगर को आराजी खसरा नम्बर 678 रकबा 2 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मलारना डूँगर में दिनांक 05.6.1973 को आवंटन किया गया को निरस्त कराने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी अप्राथीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि आवंटन आदेश बाबत खसरा नम्बर 678 वाके ग्राम मलारना डूँगर रकबा 2 बीघा दिनांक 05.06.1973 नियम विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:07:13 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन के समय भूमि खसरा नम्बर 678 राजस्व रिकार्ड मे चरागाह किस्म की दर्ज थी जो आवंटन नियम 4 के अनुसार आवंटन किये जाने योग्य नहीं थी, पटवारी हल्का द्वारा भी भूमि की किस्म चरागाह दिखाई गयी है फिर भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश कर नियम विरूद्व अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है। यह है कि आवंटन शर्तो के अनुसार आवंटी ने आज तक उक्त विवादित भूमि पर काश्त नहीं की है ऐसी स्थिति में आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि आवंटी के पास किसी प्रकार के कृषि संसाधन ही उपलब्ध नहीं थे। यह है कि स्व0राधाकिशन ने अपने जीवन काल में कभी काश्त नहीं की। उसके पश्चात उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भी कभी काश्त नहीं की इसका प्रमाण यह है कि राधाकिशन का निधन हुए 7–8 वर्ष से अधिक हो गये परन्तु अभी तक आवंटित भूमि मृतक राधाकिशन के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज चल रही है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 678 जो की काफी बडा रकबा है उसमें से 4 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा वर्ष 1960 से लगातार चला आ रहा है। अन्त में वकील प्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1973 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुये निवेदन किया गया है कि उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. श्री राधाकिशन जाति हरिजन निवासी मलारना डूँगर को आवंटन सलाहकार समिति की राय आराजी खसरा नम्बर 678 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम मलारना डूँगर आवंटन की गयी थी। उक्त भूमि पर आवंटन के समय से ही हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रर्थी अनुसचित जाति के व्यक्ति है तथा प्रार्थी सामान्य वर्ग से आते है जो जबरन हमारी भूमि पर कब्जा कर उक्त भूमि को हडपना चाहते है। आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यो द्वारा सही रूप से उक्त भूमि को हमको आवंटन किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अडचन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बसह सुनी गयी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार मलारना डूँगर से प्राप्त मौका जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार एवं वकील उभय पक्ष द्वारा दी गयी दलिलो से मै इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यो द्वारा आराजी खसरा नम्बर 678 करबा 2 बीघा किस्म चरागाह दिनांक 05.06.1973 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:07:13 IST
Reason: SelfAttested

के पिता स्व. राधाकिशन पुत्र टून्डा जाति हरिजन निवासी मलारना डूँगर को आवंटित की गयी थी। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया है कि उक्त आवंटित भूमि आवंटन दिनांक से हमारे कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा हम की उक्त भूमि पर काबिले काश्त है किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा कब्जे काश्त के सम्बन्ध में एक भी वर्ष की गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे साबित हो सके कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया है कि आवंटित भूमि खसरा नम्बर 678 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम मलारना डूँगर वरवक्त आवंटन चरागाह भूमि थी एवं चरागाह भूमि को आवंटन नहीं किया जा सकता क्योमि चरागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। तहसीलदार मलारना डूँगर से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 4513 दिनांक 03.08.2021 से भी साबित होता है कि उक्त आराजी पर अप्रार्थी को कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा प्रार्थी कल्लू शाह का कब्जा काश्त होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है। अतःसमस्त दस्तावेजात एवं वकील उभय पक्षो की दलील सुनने के पश्चात प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. राधाकिशन पुत्र टून्डा जाति हरिजन निवासी मलारना डूँगर को आराजी खसरा नम्बर 678 करबा 2 बीघा वाके ग्राम मलारना डूँगर में किया गया आवंटन आदेश खारिज किया जाता है। तहसीलदार मलारना डूँगर को निर्देशित किया जाता है कि वह पूर्वानुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि को चरागाह दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 18:07:13 IST
Reason: SelfAttested